FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0030 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/09/2025 13:32 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Wednesday **Date from (दिनांक से):** 03/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/09/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 12:40 hrs **Time To (समय तक):** 12:40 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/09/2025 **Time (समय):** 12:45 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 019 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/09/2025 12:53 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 25 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): मानेसर जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** RAJ KARAN

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 03/04/1971 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**16 old, POLICE LINES, 4th Class Quatar, NARNAUL, NARNAUL, CITY NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA-123001, INDIA**
2	**Permanent Address**	**16 old, POLICE LINES, 4th Class Quatar, NARNAUL, NARNAUL, CITY NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA-123001, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9354156450

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	धर्मबीर खत्री त0 DTP HSIIDC		Father's Name: श्री हरिचन्द	1. म0न0 2043 सै0 46 गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे । श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच कमांक 03 दिनांक 15.09.2020 गुरुग्राम, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रमांक 2656/शिकायत शाखा / गुप्तचर विभाग

हरियाणा पंचकूला दिनांक 03.082024 पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक न0 58/21/2020-1चौ0-1 दिनांक 09.09.2020 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 10094/1-2/SVB (H) दिनाक 15.09.2020 के अनुसार शिकायत के आधार पर श्री धर्मवीर खत्री डी०टी०पी० जिला नगर योजनाकार हरियाणा राज्य औधोगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड गुरुग्राम के विरूद्ध आय से अधिक अपने व अपने परिवार के सदस्यों व रिस्तेदारों के नाम काफी चल/अचल सम्पती अर्जित करने के साथ-साथ अन्य आरोपों के साथ दर्ज हुई थी।

जांच में लगाये गये आरोपों की पडताल मन निरीक्षक द्वारा श्री मान पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम की सीधी देख-रेख में पूर्ण की है। जो जांच में आरोपों की पड़ताल के दौरान प्राप्त किए गए कथनों व प्रलेखों का गहनता से अवलोकन करने से आरोप न० 4 के सम्बन्ध में पाया गया कि धर्मबीर खत्री, तत्कालीन डी०टी०पी, आई०एम०टी मानेसर के नाम प्लॉट नं0 375-पी सैक्टर-47 गुरुग्राम में, प्लॉट नं0 801 Hewo Apartments Sec 27 पंचकूला में तथा प्लॉट नं0 760 Hewo-2 Society Sec-56 गुरूग्राग में अपनी नौकरी के दौरान खरीदने पाये गये है।

जाँच की पड़ताल के दौरान पाया कि प्रतिवादी धर्मबीर खत्री तत्कालीन DTP HSIIDC, IMT Manesar Gurugram पुत्र श्री हरिचन्द निवासी मकान न0 2043, सैक्टर 46, गुरूग्राम राज्य औद्योगिक एवं सरंचना विकास निगम में रान 1995 में बतौर जे०ई० नियुक्त हुआ व वर्ष 2008 में बतौर ATP नियुक्ति हुआ और हाल तैनात Metropolitan Development Authority, सोनीपत में बतौर STP नियुक्त है। जिनकी शादी सन 1998 में डिम्पल पुत्री श्री करतार सिंह गांव करोथा जिला रोहतक के साथ हुई और प्रतिवादी की पत्नी भी वर्ष 2014 से शिक्षा विभाग हरियाणा में बतौर PGT नियक्ति हुई थी। जो अब ईस्लामपूर जिला गुरुग्राम में जुनियर लैक्चरार के पद पर तैनात है और प्रतिवादी के 2 बच्चे है एक लड़का व एक लडकी है। बडा बेटा निशान्त व छोटी बेटी खुशी जो दोनों बच्चें अपनी पढ़ाई कर रहे है और प्रतिवादी ने टाउन प्लानिंग विभाग में बतौर ए०टी०पी० गुरुग्राम, पंचकूला व बतौर डी०टी०पी० रेवाडी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी व ISIDC मानेसर जिला गुरुग्राम में तैनात रहा है। जिसने अपनी तैनाती के दौरान चल/अचल सम्पति खरीदना पाया है।

जॉच की पडताल के दौरान प्रतिवादी धर्मबीर खत्री की आय व व्यय के सम्बन्ध में रिकार्ड 1 अप्रैल 2001 से 15.09.2020 तक लिया गया जांच के रिकार्ड के अवलोकन के दौरान पाया गया कि संत्र 2011-12 व 2012-13 में प्रतिवादी द्वारा अर्जित सम्पति काफी मात्रा में पाई जाने पर जांच अवधि "CHECK PERIOD दो वर्ष लिया गया है जो दिनाक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2013 तक का लिया गया। चैक पिरियड की अवधि शुरू होने से पहले प्रतिवादी धर्मबीर खत्री के नाम सम्पतिया इस प्रकार से पाई गई है कि प्रतिवादी के पिता हरिचन्द पुत्र श्री शीशराम के नाम खेवट नम्बर 1028 व 789 में दादा लाई जमीन गांव इस्माईला-11 B तहसील सांपला जिला रोहतक की जमाबंदी अनुसार कुल कृषि योग्य भूमि 30 कनाल 14 मरला में से प्रतिवादी का 1/6 भाग 5 कनाल 2 मरला जमीन है। प्रतिवादी द्वारा हुड्डा प्लाट न० 375पी० ऐरिया 135 गज, सैक्टर 47 गुरुग्राम की लागत कुल 6,36,847 रूपयें, HEWO Society फ्लैट न0 760 ऐरिया 153 गज, GH-41 सैक्टर-56 गुरुग्राम की सम्पति की लागत कुल 15,94,984 रूपयें, HEWO Society फ्लैट न० 801 ऐरिया 214 गज GH 13 सैक्टर-27 पंचकूला की सम्पति की लागत कुल 21,42,784 रूपयें, प्रतिवादी के ओरियंटल बैंक खाता संख्या 11512010009550 में दिनांक 31.03.2011 को शेष राशि 1,45,745 रूपयें, प्रतिवादी व उसकी पत्नी डिम्पल के जुवाईट पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 3341000100088668 गे 31.03.2011 को शेष राशी 9.036 रूपयें, प्रतिवादी के PNB बैंक खाता संख्या 3341005500057012 में 31.03.2011 को शेष राशी 7,500 रूपयें, प्रतिवादी के PNB बैंक खाता संख्या 12652151000023 में 31.03.2011 को शेष राशी 28,568 रूपयें व प्रतिवादी व उसकी पत्नी डिम्पल का इंडियन बैंक में खाता संख्या 870580931 में 31.03.2011 को शेष राशी 2.840 रूपये पाये गये जो शुरूआति कुल सम्पति 45,68,304 रूपये पाई गई हैं।

जांच के दौरान चैक पिरियड के अन्त दिनांक 31.03.2013 को प्रतिवादी के नाम सम्पतियां इस प्रकार से पाई गई है कि प्रतिवादी के पिता हरिचन्द पुत्र श्री शीशराम के नाम खेवट नम्बर 1028 व 789 में दादा लाई जमीन गांव इस्माईला-11 B तहसील सांपला जिला रोहतक की जमाबंदी अनुसार कुल कृषि योग्य भूमि 30

कनाल 14 मरला में से प्रतिवादी का 1/6 भाग 5 कनाल 2 मरला जमीन है। प्रतिवादी द्वारा हुड्डा प्लाट न0 375पी० ऐरिया 135 गज, सैक्टर-47 गुरुग्राम की लागत कुल 6,36,847 रूपयें, HEWO Society फ्लैट न0 760 ऐरिया 153 गज, GH-41 सैक्टर-56 गुरुग्राम की सम्पति की लागत कुल 17,73,034 रुपये, HEWO Society फ्लैट न० 801 ऐरिया 214 गज GH-13 सैक्टर-27 पंचकूला की सम्पति की लागत कुल 52,79,784 रूपये, प्रतिवादी के ओरियंटल बैंक खाता संख्या 11512010009550 में दिनांक 31.03.2013 को शेष राशि 83,328 रूपयें, प्रतिवादी व उसकी पत्नी डिम्पल के जुवाईंट पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 3341000100088668 में 31.03. 2013 को शेष राशी 9,335 रूपयें, प्रतिवादी के PNB बैंक खाता संख्या 3341005500057012 में 31.03.2013 को शेष राशी 7,500 रूपयें, प्रतिवादी के PNB बैंक खाता संख्या 12652151000023 में 31.03.2013 को शेष राशी 26,200 रूपयें व प्रतिवादी व उसकी पत्नी डिम्पल का इंडियन बैंक में खाता संख्या 870580931 में 31.03.2013 को शेष राशी 17,902 रूपयें पाये गये जो चैक पिरियड के अन्त की कुल सम्पति 78,33,930 रूपये पाई गई हैं। जो चैक पिरियड की अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा 32,65,626 रूपयें अर्जित की गई सम्पत्ति सामने आई है।

जांच के दौरान प्रतिवादी की आय चैक पिरियड दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2013 तक उसकी सरकारी नौकरी के दौरान संकल वेतन अप्रैल 2011 से मार्च 2013 तक शुद्ध वेतन 8,08,362 रूपये, प्रतिवादी के ओरियंटल बैंक खाता संख्या 11512010009550 में दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक ब्याज प्राप्त किया 11561 रूपयें, प्रतिवादी व उसकी पत्नी डिम्पल के जुवाईट पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 3341000100088668 में 01.04.2011 से 31.03.2013 तक ब्याज प्राप्त किया 1,899 रूपयें, प्रतिवादी के PNB बैंक खाता संख्या 3341005500057012 में 01.04.2011 से 31.03.2013 तक कोई ब्याज नही प्राप्त किया हुआ। प्रतिवादी के PNB बैंक खाता संख्या 12652151000023 में 01.04.2011 से 31.03.2013 तक ब्याज प्राप्त किया 2,236 रूपयें, प्रतिवादी व उसकी पत्नी डिम्पल का इंडियन बैंक में खाता संख्या 870580931 में 01.04.2011 से 31.03. 2013 तक ब्याज प्राप्त किया 485 रुपयें, प्रतिवादी धर्मबीर खत्री के HEWO Society फ्लैट न0 760 GH-41 सैक्टर-56 गुरुग्राम को सुरजीत टोकस पुत्र श्री बिरखेराम को रैंट पर देने से प्राप्त आय, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दिनांक 01.02.2011 को 11 महिने के लिये प्रति माह 30 हजार रूपये किराया देने से दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.12.2011 तक 9 माह का किराया 2,70,000 रूपये प्राप्त किया गया, प्रतिवादी की दादालाई जमीन से चैक पिरियड (दो साल) के दौरान खेती बाडी की अनुमानित शुद्ध बचत 40,000/- रूपये होनी पाई गई है प्रतिवादी धर्मबीर ने अपने साथी बिजेन्द्र सिंह से दो ड्राफ्ट 750,000 रूप्ये व 3,50,000 रूप्ये अपने फ्लैट न० 801 ऐरिया 214 गज GH-13 सैक्टर-27 पंचकूला के किस्तों के लिए देने जबकि वर्ष 2012 में 4,50,000 रूप्ये वापीस बिजेन्द्र सिंह को देना बतलाने पर केवल 6,50,000 रूप्ये प्रतिवादी की आय में जोडे गये है। जिससे चैक पिरियड दो साल में प्रतिवादी की कुल आय 17,84,543 रूपयें पाई गई जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने चैक पिरियड की अवधि में खर्च राशि का ब्यौरों इस प्रकार से पाया गया है कि प्रतिवादी धर्मबीर खत्री व उसकी पत्नी डिम्पल के जुवाईट खाता संख्या 3341000100088668 के लोकर का किराया दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक देने पर खर्च 1,600 रूपयें, प्रतिवादी का अप्रैल 2011 से 31.03.2013 के दौरान की कुल वेतन 8,08,362 रूपये में से 30 प्रतिशत रशोई खर्च में किया गया खर्च दिनाक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक 2,42,508 रूपयें, प्रतिवादी के बेटे निशान्त खत्री की दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2013 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल गुरुग्राम मे पढाई करने पर खर्च 1,52,160 रूपये, प्रतिवादी के बेटी खुशी खत्री ने दिनांक 01.04 2011 से दिनांक 31.03.2013 तक DAV पब्लिक स्कूल गुरुग्राम में पढ़ाई करने पर खर्च 1,30,000 रूप्ये, प्रतिवादी धर्मबीर ने अपने लिये हुये लोन की किस्ते भरने में खर्च की गई रकम दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक 3,69,400 रुपये, प्रतिवादी धर्मबीर के रिहायशी मकान का बिजली व पानी बिल अनुमानित राशि 5,000 रूप्ये प्रति माह के हिसाब से दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक खर्च किये गये 1,20,000 रूपये, प्रतिवादी धर्मबीर ने PF/Income tax वगैरा दिनांक 01.04.2011 से 31 03.2013 तक अदा 1,71,000 रूपयें किये हैं जिनको खर्च में दिखाया गया है जो प्रतिवादी ने चैक पिरियड दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2013 तक अपना कुल खर्च 11,86.668 रूपयें हुआ है। जो चैक पिरियड की अवधि में प्रतिवादी की कुल बचत 5,97.875 रूपयें सामने आई है। जबकि चैक पिरियड अवधि में प्रतिवादी की अर्जित की गई सम्पति 32,65,626 रूपयें जबकि प्रतिवादी की चैक पिरियड अवधि में बचत 5.97,875 रूपयें ही सामने आई जिससे प्रतिवादी धर्मबीर खत्री द्वारा चैक पिरियड अवधि के दौरान अपनी जायज स्त्रोतों से प्राप्त आय से अधिक 26,67,751 रूपयें अवैध तरीके से अर्जित करके खर्च करना पाया गया है जो 149.49 प्रतिशत है। जो प्रतिवादी धर्मबीर खत्री द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का अपराध किया है। इसलिए

धर्मबीर खत्री तत्कालीन DTP HSIIDC, IMT Manesar Gurugram पुत्र श्री हरिचन्द निवासी मकान न0 2043, सैक्टर 46, गुरुग्राम के विरूद्ध धारा 13 (1) (E) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के अनुसार अपराध करना पाया जाने पर प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति के साथ जांच कमांक 03 दिनांक 15.09.2020 गुरुग्राम, की अन्तिम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार करके श्री मान पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के कार्यालय के पत्र क्रमांक 4588/SVACB/GGM दिनांक 11.08.2025 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी। जिसके उपरान्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 17320/1-2/SVACB (H) पंचकुला दिनांक 27.08. 2025 के अनुसार उपरौक्त जांच में प्रतिवादी धर्मबीर खत्री के खिलाफ ड्राफ्ट FIR/ तहरीर तैयार करके भेजने बारे पुनः जांच प्राप्त हुई है। अतः तहरीर बरखिलाफ धर्मबीर खत्री तत्कालीन DTP HSIIDC, IMT Manesar Gurugram पुत्र श्री हरिचन्द निवासी मकान न0 2043, सैक्टर 46, गुरुग्राम के खिलाफ जुर्म जेरधारा 13 (1) (E) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 में अभियोग अंकित करने के लिए ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5000 / SVACB/GGM दिनाक 01 09.2025 के अनुसार भेजी गई थी श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय क्रमांक 17642/1-2/ACB(H) दिनांक 02.09.2025 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरुग्राम गण्डल गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। आज मैं हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम है। जो उपरोक्त तहरीर बरखिलाफ धर्मबीर खत्री तत्कालीन DTP HSIIDC, IMT Manesar Gurugram पुत्र श्री हरिचन्द निवासी मकान न0 2043, सैक्टर 46, गुरुग्राम के खिलाफ जुर्म जेरधारा 13(1) (E) r/w 13 (2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने बारे तहरीर तैयार करके उप निरीक्षक सतबीर सिंह न0 696/ गुरुग्राम के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुगाम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अमियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु आगागी अनुसंधानकर्ता के पास भिजवाई जावे । राजकरण नि0 130 निरीक्षक राजकरण, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम । दिनांक 03.09.2025 समय – 12.40 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्रामभेजा जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले उप निरीक्षक सतबीर सिंह न0 696/ गुरुग्राम के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP अर्जुन देव राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARJUN DEV **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): H22 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.